

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20.11.

कार्यकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है केलाश नारायण शर्मा नगर पालिका परिषद् शाजापुर वर्तमान धारित पद राजस्व उपनिरीक्षक3. वर्तमान वेतन 12900 + DA 51% अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2012

उस जिले, उपसंग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
आदित्यनगर शाजापुर जिला शाजापुर (मध्य) उर्जन खेड़ा	गृह भवन	-	10 लाख	इसके पीछे 10/10 केलाश नारायण शर्मा	श्री राजेश महेश्वरी निवासी शाजापुर से कृपया दिया गया	-	-

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आन्वेष में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर केलाशनाम केलाश नारायण शर्मा
पद राजस्व उपनिरीक्षक
नं० ५४० शाजापुर (म०)